न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 2829 / 2003 / जोधपुर

1—गुणेशराम पुत्र हरकाराम
2—तुलछाराम पुत्र तेजाराम
3—कानाराम पुत्र लालाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सरगिया खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर ——अपीलांटस

बनाम

1—नरसिंहराम पुत्र मानाराम
2—सायरी बेवा चेतनराम
3—रामसिंह पुत्र चेतराम
4—रामदयाल पुत्र चेतराम
5—रामपाल पुत्र चेतराम
6— उम्मेदाराम पुत्र चेतराम
7—राजूराम पुत्र चेतराम नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक प्रार्थिया सं02 (माता) समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सरगिया खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
8—राजस्थान सरकार ——रेस्पोडेंटस

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा ,सदस्य
श्री हरिशंकर गोयल सदस्य

उपस्थितः—
श्री योगेन्द्र सिंह ,अधिवक्ता अपीलांटस
श्री एस0के0शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंटस

निर्णय

दिनांकः 9.1.2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 7 की ओर से प्रतिवादी / अपीलांटस के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीए सहायक कलक्टर बिलाडा के समक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है तथा उक्त आराजी पर उनका कब्जा पीढियों से चला आ रहा है विवादित आराजी में कोई रास्ता नही है लेकिन

प्रतिवादीगण /अपीलांटस जबरन विवादित आराजी में नया रास्ता निकालने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि इस तरह का कृत्य नही करे। प्रतिवादीगण ने अपना जबाब दावा पेश कर वाद के कथनों से इंकार किया और विवादित आराजी में वादीगण की खातेदारी की भूमि होना स्वीकार किया किन्तु वादीगण के अन्य कथनों को खारिज किया। परीक्षण न्यायालय ने दावा व जबाब दावा के आधर पर दोनो पक्षों की ओर से साक्ष्य लेते हुए दावे में तनकीयात कायम कर व उभयपक्षकारान को सुनने के उपरांत विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–3–2003 के द्वारा वादीगण/ रेस्पोडेंटस का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट गुणेशराम आदि की ओर से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–5–2003 द्वारा रैस्पोडेंट/अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए अपीलांट के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर दी जिससे व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है

3– उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर कुल 5 तनकी कायम की हैं। प्रत्येक तनकी का निर्णय पारित करते हुए एवं तहसीलदार भोपालगढ, एडीएम जोधपुर , मण्डल द्वारा पारित निर्णय व राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए वाद वादीगण /रेस्पोडेंट खारिज कर दिया , जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर आरटीए की धारा 251 के तहत पारित डिक्री व निर्णयों पर बिना विचार किये ही केवल रेस्पोडेंटस को विवादित आराजी का खतोदार होना मानते हुए अपीलांटस के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर दी , लेकिन उनके द्वारा वाद में लिप्त कानूनी बिन्दु या निर्णायक बिन्दु कायम ही नही किये। उनका यह भी तर्क है कि आरटीए की धारा 251 के तहत पारित आदेश को प्रभाव हीन किये जाने के लिए खातेदारों को आरटीए की धारा 188 के तहत वाद निर्णित किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। उपखण्ड अधिकारी धारा 251 के तहत पारित आदेश को न तो निरस्त कर सकता हैऔर न ही इनइफेक्टिव कर सकता है अर्थात इसकी क्रियान्विति को धारा 251 के तहत पारित निर्णय जिससे कि वे

प्रभावित होते है , राजस्व वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। केवल वे आरटीए की धारा 251(2) के तहत सक्षम न्यायालय में ही अपना वाद पेश कर यह घोषणा करवाने के अधिकारी है कि उनकी खातेदारी की भूमि पर कोई रास्ता न तो प्रचलित है और न कायम है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्णतया क्षेत्राधिकार से परे निर्णय पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 के अनुसार पारित नही किया है। योग्य अधिवक्ता ने न्याय दृष्टान्त 2018 आर0बी0जे0 पेज 48 को उद्धरित करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को तनकीवार विवेचन करते हुये तय करना चाहिए था जो नही कर कानूनी त्रुटि की है। अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर के निर्णय दिनांक 15-3-2003 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलांट की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान के मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में विस्तृत विवेचन के साथ वादीगण का वाद खारिज किया गया है, अन्त में उन्होने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को कानून सम्मत बताया और निवेदन किया कि हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

8— हमने उभयपक्षकारान की ओर से की गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

9— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर कुल 5 तनकी कायम की हैं। प्रत्येक तनकी का निर्णय पारित करते वाद वादीगण /रेस्पोडेंट खारिज किया गया है , जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होने विचारण न्यायालय के तनकीवार निर्णय को पलटते समय जाप्ता दीवानी के आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर विधिक त्रुटि कारित की है जबकि उन्हें जाप्ता दीवानी के आदेश 41 नियम 31 के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित करना आज्ञपक है। अपीलीय न्यायालय को न्याय दृष्टान्त 2018

आर0बी0जे0 पेज 48 परिप्रेक्ष्य में आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को तनकीवार विवेचन करते हुये तय करना चाहिए था जो नही कर कानूनी त्रुटि की है। परिणामस्वरुप यह अपील ऑशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपील औंशिक रुप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–5–2003 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान की सुनवाई करते हुए तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। पक्षकारान को निर्देश दिये जाते हैकि वे राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष दिनांक 28–1–2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल) (सुनील कुमार शर्मा)

सदस्य सदस्य